



# BIJNOR POLICE



## महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र

माह सितम्बर – 2024

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) व महिला परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा वैचारिक मतभेद की वजह से टूटने वाले परिवार के विवादों को निरन्तर सुना जा रहा है। इन विवादों में पुलिस अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों से नामित सदस्यों की ओर से दोनों पक्षों की बातों को विधिवत सुना जाता है तथा सूझ-बूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुए परिवारों को बिखरने से बचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

माह सितम्बर-2024 में महिला परामर्श केन्द्र व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) को प्राप्त शिकायतों में परिवार को एकजुट करने की दिशा में महिला परामर्श केन्द्र द्वारा 49 परिवारों व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) द्वारा 51 परिवारों (कुल – 100) के विवादों का निस्तारण किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए खाना किया गया।







जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 30.09.2024

**थाना हल्दौर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 04 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 30.09.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.निखिल पुत्र विरेन्द्र 2.आदित्य पुत्र मनोज 3.मंजीत पुत्र नरेश कुमार समस्त निवासीगण ग्राम सल्लाहपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 282/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम निखिल आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.निखिल पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सल्लाहपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.आदित्य पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम सल्लाहपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.मंजीत पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम सल्लाहपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 12 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 अन्नु कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 142 मुनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 628 आशीष तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4.का0 753 मोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 30.09.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 30.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कार्तिक पुत्र बेगराज निवासी छकड़ा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कार्तिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कार्तिक पुत्र बेगराज निवासी छकड़ा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त कार्तिक का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 257/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 197/24 धारा 115/352/351(2)/351(3)/109 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मीर हसन थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 565 धीरेन्द्र प्रताप थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 1008 नीरज थाना मंडावर जनपद बिजनौर



# BIJNOR POLICE



माह सितम्बर – 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह सितम्बर में कुल – 73 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-


बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह सितम्बर में कुल-73 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र० सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	1160 / 23	366, 380, 504, 506 भादवि
2	कोतवाली शहर	745 / 24	87 बीएनएस
3	कोतवाली शहर	819 / 24	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	865 / 24	87 बीएनएस
5	कोतवाली शहर	929 / 24	87 बीएनएस
6	कोतवाली शहर	618 / 24	87 बीएनएस
7	कोतवाली शहर	844 / 24	87 बीएनएस
8	कोतवाली शहर	912 / 24	137(2) बीएनएस
9	कोतवाली शहर	873 / 24	87 बीएनएस

10	कोतवाली शहर	907 / 24	87 बीएनएस
11	हल्दौर	259 / 24	87 बीएनएस
12	हल्दौर	245 / 24	137(2) बीएनएस
13	मण्डावर	244 / 24	87 बीएनएस
14	मण्डावर	245 / 24	87 बीएनएस
15	नजीबाबाद	276 / 24	366 भादवि
16	नजीबाबाद	246 / 24	87 बीएनएस
17	नजीबाबाद	447 / 24	137(2) बीएनएस
18	नजीबाबाद	479 / 24	137(2) बीएनएस
19	नजीबाबाद	475 / 24	87 बीएनएस
20	नजीबाबाद	487 / 24	137(2) बीएनएस
21	मण्डावली	130 / 24	87 बीएनएस
22	मण्डावली	138 / 24	137(2) बीएनएस
23	नांगल	143 / 24	87, 351(2) बीएनएस
24	नांगल	144 / 24	87 बीएनएस
25	नांगल	150 / 24	137(2) / 351(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट
26	चांदपुर	395 / 24	87 बीएनएस
27	चांदपुर	462 / 24	137(2) बीएनएस
28	चांदपुर	485 / 24	137(2) बीएनएस
29	चांदपुर	495 / 24	137(2) बीएनएस
30	नूरपुर	323 / 24	137(2) बीएनएस
31	नूरपुर	351 / 24	313, 323, 366, 376 भादवि
32	नूरपुर	370 / 24	87 बीएनएस
33	नूरपुर	358 / 24	137(2) बीएनएस
34	नूरपुर	360 / 24	87 बीएनएस
35	नूरपुर	362 / 24	87, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस
36	नूरपुर	378 / 24	37(2), 65(1) बीएनएस व 3 / 4(2) पोक्सो एक्ट
37	शिवाला कलां	115 / 24	87 / 79 बीएनएस
38	कोतवाली देहात	191 / 24	87 बीएनएस
39	कोतवाली देहात	217 / 24	87 बीएनएस
40	बढापुर	185 / 24	87 बीएनएस

41	नगीना देहात	183 / 24	137(2) बीएनएस
42	नगीना देहात	185 / 24	137(2) बीएनएस
43	धामपुर	350 / 24	137(2) बीएनएस
44	धामपुर	240 / 24	366 भादवि
45	धामपुर	432 / 24	137(2) बीएनएस
46	धामपुर	433 / 24	87 बीएनएस
47	धामपुर	414 / 24	87,61(2) बीएनएस
48	धामपुर	439 / 24	87 बीएनएस
49	धामपुर	435 / 24	87 बीएनएस
50	धामपुर	458 / 24	137(2) बीएनएस
51	स्योहारा	430 / 24	137(2), 87, 351(3) बीएनएस
52	स्योहारा	435 / 24	137(2), 87 बीएनएस
53	स्योहारा	455 / 24	87, 78 बीएनएस
54	स्योहारा	277 / 24	366, 504 भादवि
55	स्योहारा	416 / 24	87, 131 बीएनएस
56	स्योहारा	444 / 24	87, 137(2) बीएनएस
57	स्योहारा	401 / 24	87, 131, 352, 351(3) बीएनएस
58	नहटौर	293 / 24	87 बीएनएस
59	नहटौर	230 / 24	366 भादवि
60	नहटौर	191 / 24	34, 366 भादवि
61	नहटौर	478 / 23	366 भादवि
62	नहटौर	299 / 24	87 बीएनएस
63	नहटौर	312 / 24	87 बीएनएस
64	नहटौर	324 / 24	137(2) बीएनएस
65	अफजलगढ	238 / 24	87 बीएनएस
66	अफजलगढ	203 / 24	366 भादवि
67	अफजलगढ	270 / 24	87 बीएनएस
68	अफजलगढ	131 / 24	363 भादवि
69	अफजलगढ	173 / 24	366, 504, 506 भादवि
70	अफजलगढ	300 / 24	87 बीएनएस
71	अफजलगढ	302 / 24 नोट- धारा 156(3) के अंतर्गत	363,376,506 भादवि व 3 / 4 पोक्सो एक्ट
72	शेरकोट	178 / 24	87 बीएनएस
73	रेहड	106 / 24	87, 61(2), 131 बीएनएस











जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट-थाना मण्डावली

दिनांक 30.09.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 142/24 धारा 109/351(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2024 को वादी अनिल कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.भोलू पुत्र करमवीर 2.धीर सिंह व 3.मोनू निवासी ग्राम काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने वादी के भाई सुनील को अकेला देख पकड़ लिया तथा अभियुक्त भोलू उपरोक्त ने वादी के भाई पर जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया जिससे वह घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 109/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 30.09.2024 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त भोलू पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.भोलू पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 142/24 धारा 109/351(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावली बिजनौर।
- 2.मु0अ0सं0 202/18 धारा 452/354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 थाना मण्डावली बिजनौर।
- 3.मु0अ0सं0 200/16 धारा 458/323/504/506/427 भादवि थाना मण्डावली बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अमित कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी 164 नीरज कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 3.मुख्य आरक्षी 833 अंकुर दुहूण थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट—थाना रेहड

दिनांक 30.09.2024

थाना रेहड पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 30.09.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तगण 1.छोटू पुत्र तेजपाल 2. गोविन्द सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासीगण ग्राम सादकपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर को 02 अवैध तमंचे 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.छोटू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सादकपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2.गोविन्द सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम सादकपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।

### बरामदगी का विवरण—

1. 02 तमंचे 315 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 प्रशिक्षु रजत चौधरी थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 333 ललित थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 2533 यतीश थाना रेहड जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट-थाना नगीना

दिनांक 30.09.2024

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 276/24 धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व 7/8 पाँक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2024 को वादी द्वारा अभियुक्त तस्लीम पुत्र खलील निवासी मौ0 नालबंदान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की पुत्री जोकि ट्यूशन पढकर अपने घर वापिस आ रही थी, के साथ रास्ते में छेडछाड एवं विरोध करने पर गाली-गलौच तथा मारपीट किये जाने के संबंध मे थाना नगीना पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व धारा 7/8 पाँक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 30.09.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त तस्लीम पुत्र खलील निवासी मौ0 नालबन्दान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.तस्लीम पुत्र खलील निवासी मौ0 नालबन्दान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 710 नेपाल सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।